फरीदाबाद पुलिस अब बनी श्रम समझौता अधिकारी भी!

विवेक

फरीदाबाद : शहर की पुलिस अब श्रम कानूनों को ताक पर रखने वाली कम्पनियों और उनके कर्मचारियों के बीच पैसे देने दिलाने का काम भी करने लगी है। 25 वर्षीय राहुल की 10 सितम्बर 2020 को आईएमटी स्थित एआरडी इंडस्ट्रीज में मशीन में उंगली कट गई। प्रबंधन ने लीपा-पोती करते हुए इलाज के नाम पर मामूली मरहम पट्टी करवा दी। अस्पताल ने भी पुलिस को सूचना देने की जरूरत नहीं समझी और पीड़ित को कटी उंगली लिए उसके हाल पर पूरे सिस्टम ने छोड़ दिया।

यदि मजदूरों के अधिकारों और कानूनों की बात की जाए तो देश में एक से एक कानून बने हैं। एआरडी इंडस्ट्रीज कंपनी के ऊपर कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट 1948 लागू होता है। इस कानून के तहत कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने कर्मचारी को इस कानून और कर्मचारी के अधिकारों के प्रति जानकारी उसके समझे जाने वाली भाषा में दे। जानकारी का माध्यम लिखित या इलेक्ट्रॉनिक दोनों हो सकता है। पर क्या वाकई कम्पनियां ऐसा करती हैं? ऐसा न करने की सूरत में कंपनी या कर्मचारी पर पचास हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना बनता है। तो क्या कभी किसी कंपनी पर इस कानून का उल्लंघन करने पर ऐसा कोई जुर्माना लगाया गया?

दरअसल ये कानून बने बेशक हैं पर जिनपर इसे लागू करवाने का जिम्मा है वे इसके बहाने बस अपनी जेबें भरते पाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जेबें भरने का ये चलन कोई आज शुरू हुआ है पर आजतक भी यही हो रहा है ये चिंता की बात है।

राहुल की उंगली कटने के बाद जहाँ अस्पताल ने अपना फर्ज नहीं निभाया वहीं पुलिस भी चार कदम आगे रही। एफआईआर करने के बदले पुलिस ने कंपनी प्रबंधन को बुलाया और गरीब राहुल पर कुछ ले देकर मामले को रफा-दफा करने का दबाव डाला। राहुल ने बताया कि पहले तो कंपनी की तरफ से सुपरवाईजर ओमपाल ने धमकाते हुए कहा कि कंपनी 2000 रुपये मुआवजा दे रही है वो ले ले। बाद में 12 हजार रुपये देकर उससे एक खाली पन्ने पर अंगूठा लगवा लिया कि उसे अब ईएसआई से इलाज नहीं चाहिए, उसे कंपनी से कोई शिकायत नहीं और अब भविष्य में वह कंपनी पर कानूनी कार्यवाही नहीं करेगा।

क्या ऐसा हो सकता है एक लड़का अपनी कटी उंगली लेकर उसे बिना इलाज के सड़ने के लिए छोड़ दे और इसके बदले में खुशी-खुशी यह भी लिख दे कि वह अब कंपनी की तरफ से संतुष्ट हो चुका है? जाहिर है ये सब थाने में बैठाकर पुलिसिया दबाव से हुआ है। अन्यथा पुलिस ने ऐसा कोई भी समझौता किस कानून के तहत करवाया? ये समझौता कराने का अधिकार पुलिस को किस कानून के तहत मिला? थाना सदर आईएमटी के सब इंस्पेक्टर असलम खान से हुई मजदूर मोर्चा की बातचीत में उन्होंने उचित कानूनी कार्यवाही करने का झूठा वादा किया था। राहुल अपनी कटी उंगली को लेकर बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल गए जहाँ उन्हें यह कह कर भगा दिया गया कि जिस निजी सूर्या अस्पताल में पहले इलाज करवाया है वहीं जा। एआरडी के सिपहसालार बनकर आये ओमप्रकाश के अनुसार उन्होंने राहुल को इलाज करवाने का विकल्प दिया था और या तो वो इलाज करवा ले या कानूनी कार्यवाही कर ले, दोनों तो नहीं मिलेगा।

फिलहाल राहुल अपनी कटी और सड़ती हुई उंगली लेकर उपचार के लिए भटक रहे हैं। उन कानूनों का क्या फायदा जो इन मजदूरों के नाम पर बनाये गए हैं। पुलिस के असलम खान ने इन्ही कानूनों का भय दिखा कर कंपनी से भी जरूर कुछ वसूला होगा और दबाव के तहत ऐसा समझौता करवाया जिसका कोई कानूनी औचित्य ही नहीं हो सकता। कंपनी ने एक कोरे कागज पर राहुल से साइन करवा कर किसी न किसी कानून का डर दिखा कर ही करवाए। क्या वाकई हमारे श्रम कानून राहुल जैसे मजदूरों को किसी तरह का संरक्षण दे रहे हैं।

हाथरस में नक्सली कही जाने वाली 'भाभी' दरअसल एक संघर्षशील डॉक्टर हैं

भंवर मेघवंशी

उत्तरप्रदेश के हाथरस जिले के बोलगढ़ी गाँव में एक दलित बालिका के साथ हुई हैवानियत और उसके बाद राज्य प्रायोजित अमानवीयता के घटना क्रम से सारा देश वाकिफ है। जिसने भी इस दरिंदगी के बारे में सुना है, उनकी पीड़ितों के प्रति हमदर्दी जगना स्वाभाविक ही है। देश भर से लोग पीडिता के परिवार से मिलने गये और उनको ढाढ़स बंधाया।

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में, जन्मी और वर्तमान में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉक्टर राजकुमारी बंसल को भी हाथरस की घटना ने बुरी तरह विचलित कर दिया। वे कई दिन बैचेन रही। रातों में सो नहीं पाई। मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर उनको लगा कि पीड़ित परिवार से जा कर मिलना चाहिए और उनको हिम्मत देनी चाहिये और भी यथा सम्भव जो मदद हो सके वह की जानी चाहिये। यह सोचकर डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने मेडिकल कॉलेज से अवकाश लिया और ट्रेन से आगरा के लिए निकल पड़ी। वह चार अक्तूबर से छह अक्तूबर की दोपहर दो बजे तक पीड़ित परिवार के साथ रही। उनको हौंसला दिया। अपनी एक महीने की सैलेरी भी पीड़िता के परिवार को दी। उनसे यह भी कहा कि आपकी एक बेटी चली गई तो यह दूसरी बेटी आ गई है, जो कि डॉक्टर भी है। इंसाफ़ की लड़ाई में आपके साथ है। डॉक्टर राजकुमारी छह को हाथरस से निकली और सात अक्टूबर को अपने घर जबलपुर आ गई।

डॉक्टर राजकुमारी एक मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ सामाजिक रूप से काफ़ी सक्रिय है और बेहद मुखर भी। वे व्यक्तिगत रूप से भी और अपने एक फ़ाउण्डेशन के ज़रिये भी समाज सेवा करती रहती हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी राशन वितरण व लोगों को आजीविका चलाने के लिए मदद की। वे अन्याय व अत्याचार के मामलों पर भी खुलकर आवाज़ उठाती रही है। उनका कहना है कि-' केवल नौकरी करने के लिये मैने एजूकेशन नहीं ली, अगर मैं ग़लत के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकूँ तो मेरे शिक्षित होने का क्या फ़ायदा ?'

दरअसल राजकुमारी बंसल एक अम्बेडकरवादी डॉक्टर है, वे पे बैक टू सोसायटी के अम्बेडकराइट्स विचार में विश्वास करती है। हालाँकि उनका पीड़ित परिवार से कोई रक्त सम्बंध नहीं है, यह सिर्फ़ दर्द का ही रिश्ता है। वे वाल्मीकि समाज से भी नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ लगातार हो रही नाइंसाफ़ी ने उनको हाथरस पहुँचने पर विवश किया और तमाम ख़तरे उठाते हुये न केवल उस गाँव पहुँची, बल्कि पीड़ित परिजनों के साथ रहकर उनको हौंसला

दिया और यथा सम्भव मदद भी की। यह उन्होंने अपनी संवेदनशीलता व उदातत् मानवता का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

पीड़ित परिवार तक पहुँचना व वहाँ उनके साथ रहना सरल काम नहीं था। वे आगरा से बस लेकर उस गाँव तक पहुँची,जहाँ भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे. उनसे भी पहचान पूछी गई। आइडी देखे गये, यात्रा के टिकट तक चेक किये गये और यह जानने की कोशिश की गई कि वे वहाँ क्यों आई है? डॉक्टर राजकुमारी ने यूपी पुलिस को साफ़ जवाब दिया कि -' मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और फ़ोरेंसिक एक्सपर्ट भी। मैं पीड़ित परिवार की रिश्तेदार नहीं हूँ। मैं अन्याय के खिलाफ़ न्याय के पक्ष में यहाँ इन लोगों को हिम्मत देने के लिए आई हूँ।

डॉक्टर राजकुमारी के पीड़ित पक्ष से मिलकर वापस लौटने के बाद एक कहानी रची गई और उस झूठ को मीडिया व जाँच एजेंसियाँ प्रचारित करके मामले से लोगों का ध्यान भटकाने की असफल कोशिश कर रही है। वैसे तो यूपी सरकार ने दंगे भड़काने की साजिश, योगी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश और भीम आर्मी व पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया के मध्य सम्बंध होने तथा सौ करोड़ का विदेशी फ़ंड आने जैसे झूठ बुने गये है, पर ताज़ा झूठ यह रचा गया है कि हाथरस कांड का नक्सली कनेक्शन मिल गया है, इस घटना के तार नक्सलवादियों से जुड़े हुये हैं। मनुस्ट्रीम मीडिया और यूपी एसआईटी का आरोप है कि डॉक्टर राजकुमारी बंसल के तार अर्बन नक्सल से जुड़े हुये हैं। वे हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ भाभी बनकर दो बार रही है। वे पहले सोलह सितम्बर से उनतीस सितम्बर तक और फिर तीन से सात अक्तूबर तक पीड़ित परिवार की रिश्तेदार बन कर पीड़ित परिवार में रही और उनको भड़काया, उकसाया और साज़िश रची।

इसके बाद दलित बहुजन विरोधी मीडिया ' नक्सली भाभी ' की स्टोरी चलाने लगा कि जबलपुर की एक डॉक्टर घूँघट निकाल कर पीड़िता की भाभी बनकर मीडिया व आगंतुकों से बात कर रही थी !

डॉक्टर राजकुमारी बंसल इन आरोपों को बचकाना व हास्यास्पद बताती है, उनका कहना है कि वो क्यों घूँघट निकाल कर बैठेगी और मीडिया से बात करेगी ? उनका कहना है कि वे दो बार नहीं बल्कि सिर्फ़ एक ही बार वहाँ गई और इसके सबूत उनके पास है, ज़रूरत पड़ी तो वे इस दुष्प्रचार के खिलाफ़ न्यायपालिका में जायेगी।

डॉक्टर राजकुमारी बेख़ौफ़ यह कहने से भी नहीं हिचकती है कि -अगर ग़लत के खिलाफ़ आवाज़ उठाना अर्बन नक्सल कहलाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अर्बन नक्सल हूँ और आगे भी ग़लत के खिलाफ़ आवाज़ उठाती रहूँगी।

डॉक्टर राजकुमारी बंसल मूलत: ग्वालियर की है, वे यहीं जन्मी और पढ़ी लिखी। बाद में मेडिकल की पढ़ाई करने जबलपुर चली गई, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कोलेज से उन्होंने एमबीबीएस किया। उन्होंने डीओएमएस (नेत्र सम्बंधी) तथा एमडी औषधि विज्ञान में दो बार पीजी किया है और वर्ष 2018 से वे इसी मेडिकल कोलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में कार्यरत है। वे एक अम्बेडकरवादी मानवतावादी डॉक्टर है, जो हर मुसीबतज़दा और ज़रूरतमंद की मदद करती है और अन्याय अत्याचार के खिलाफ़ जमकर बोलती हैं।

लेकिन फ़ासीवादी सत्ता इस समय पीड़ितों को ही अपराधी साबित कर देने के डिजायन पर काम कर रही है। जो भी वंचितों व उत्पीड़ितों के पक्ष ने बोलेगा, लिखेगा या साथ देगा ,उन सबको अर्बन नक्सली बता कर फँसाया जा रहा है। सरकार अपने ही देश के पीड़ित नागरिकों के खिलाफ़ युद्ध छेड़ चुकी है। इससे ज़्यादा अलोकतांत्रिक और अमानवीय बात क्या हो सकती है ?

आखिर डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने हाथरस जा कर पीड़ित परिवार से मिलकर उनके साथ रहकर उनकी मदद करके उनको दिलासा देकर क्या अपराध कर दिया है जो इस देश का मनुवादी मीडिया और सरकार उनके पीछे पड़े हैं और बिना किसी आधार के बदनाम कर रहे है ?

हम कब तक नक्सलवाद के नाम पर डराये जायेंगे? कब तक हमारी इंसाफ़ की लड़ाइयाँ साजिशों की भेंट चढ़ती रहेगी ? हम कब तक चुप रहेंगे? आज डॉक्टर राजकुमारी बंसल का नम्बर है, कल आपका, हमारा, हम सबका नंबर आने वाला है। सत्ता हर प्रतिरोध की आवाज़ को ख़ामोश कर देगी, फिर सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा ! इसलिए यह वक्त है पूरी ताक़त से डॉक्टर राजकुमारी बंसल के साथ खड़े होने का, बेख़ौफ़ बोलिये, मुँह खोलिए।

(सम्पादक - शून्यकाल डॉटकॉम)

ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश की भाजपाई योगी सरकार और पुलिस हाथरस कांड के आरोपी ठाकुर पक्ष को निर्दोष साबित करने के लिये हर हथकंडे अपना रही है। जबकि जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ की मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता से रेप के सबूत तथा चारों आरोपितों के नाम आदि विवरण भी दर्ज है। सोनीपत के बुटाना गांव की दलित लड़की से रेप के मामले में जाट बहुल वरोदा विधान सभा उपचुनाव के मद्देनज़र भाजपा, जेजेपी, लोकदल तथा कांग्रेस सभी ने चुप्पी साध रखी है। गौरतलब है कि हाथरस में जातीय ध्रुवीकरण करना सभी राजनीतिक दलों को रास आ रहा है, तो बुटाना में जातीय समीकरण ने उनके मुंह सिले हुए है। जाति-धर्म देख कर आरोपी को बचाने का रवैया शर्मनाक है।

गतांक की चीर-फ़ाड़

पुलिस इन्वेस्टीगेशन में जातिवाद के लिये जगह नहीं

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 11-17 अक्तूबर 2020 के अंक में समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ़ दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर शाहीन बाग में महीनों तक चले धरना-प्रदर्शन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विभिन्न पक्षों का 'जनता को तो पता चल गया, सरकार को उसकी जवाबदेही बता दीजिए मी लार्ड? में सटीक विश्लेषण किया गया है।

इस फैसले में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित समय के लिये धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कितने समय तक धरना-प्रदर्शन करने के लिए टिका जा सकता है? सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुनवाई नहीं की है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश काल में असहमति के लिये प्रदर्शन और अपनी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के साथ असहमति के लिये प्रदर्शन में फ़र्क है, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। देश की संप्रभुता, एकता को बचाने के लिये और पब्लिक ऑर्डर को बरकरार रखने के लिये ऐसे प्रदर्शन को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दरअसल मोदी सरकार की कार्यशैली और नीतियों को समर्थन व प्रोत्साहन देता है।

सत्ता व प्रशासन तंत्र से संरक्षण प्राप्त दबंगों द्वारा लड़कियों व महिलाओं के साथ की जा रही दरिंदगी व हैवानियत की घटनाएं देश के विभिन्न भागों से आये दिन आ रही हैं। 'पुलिस इन्वेस्टीगेशन में जातिवाद के लिये जगह नहीं,' सोनीपत के बुटाना गांव की लड़की से पुलिसिया रेप में नेताओं और मीडिया के लिये हाथरस जैसा रस क्यों नहीं?' तथा प्रेम, खाप, बलात्कार, पुलिस मुठभेड़ और उपचुनाव' में हाथरस की दलित लड़की से बलात्कार मामले में सवर्ण-दलित राजनीति व जातिवाद से प्रभावित पुलिसिया जांच, सोनीपत के बुटाना गांव की दलित लड़की से पुलिसिया बलात्कार केस की राजनीतिक दलों द्वारा उपेक्षा की राजनीति तथा बलराम पुर दलित बलात्कार-हत्या मामले में मुस्लिम आरोपितों पर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने की मांग आदि को बेनकाब किया गया है।

इसके अतिरिक्त चार बालीवुड एसोसिएशन और 34 प्रमुख निर्माताओं ने रिपब्लिक टीवी व टाइम्स नाऊ के खिलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अर्जी में बॉलीवुड के विरुद्ध गैर जिम्मेदाराना व अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप लगाए हैं और अदालत से गुहार लगाई है कि इन टीवी चैनल को मीडिया ट्रायल करने से रोके।

देश में जब करोड़ों बेरोजगार युवा, खेती को बचाने के लिये लाखों किसान, अपने जंगल को बचाने के लिये सैकड़ों आदिवासी सड़कों पर हैं, देश कोरोना आपदा से जूझ रहा है और सेना के जवान बुलेटप्रूफ वाहनों के अभाव में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं, ऐसे में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पर आलीशान व अभेद्य विशेष विमान देश के खजाने से 8458 करोड़ रुपए खर्च कर अमेरिका से खरीदे जाने पर 'कोरोना काल में मोदी के लिये आलीशान विमान' में सरकार के लिये आवश्यक सर्वोपरि प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई है।

टेलीविजन (टीवी) चैनल को मिलने वाले विज्ञापन का दर उनके टीआरपी रेट के आधार पर तय किया जाता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर द्वारा प्रेस-कांफ्रेंस में टीआरपी रैकेट चलाने के दावे का 'फ़र्जी टीआरपी का रैकेट' में खुलासा किया गया है। टीआरपी मापने वाली बार्क (बीएआरसी) संस्था द्वारा बैरोमीटर लगाने वाली कंपनी हंसा के अधिकारियों की जांच करने पर गड़बड़ी पाई गई थी। रिपब्लिक, फक्त मराठी और वॉक्स सिनेमा तीनों पर गलत टीआरपी दिखाकर विज्ञापन हथियाने के आरोप हैं। हंसा के पूर्व वर्कर तथा फख्त मराठी व बॉक्स के मालिक समेत पांच लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है और रिपब्लिक टीवी के सीईओ समेत तीन अधिकारियों से क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट पूछताछ कर रही है।